

9/2/24

पञ्जाब के राज्य में भूमि धारिता तहसीलदार शेराठ उपस्थित।
 उक्त प्रकरण में इस मामल में के आदेश क्रमांक: जोर/2024/81-93
 दिनांक 22.01.24 की पालना में तहसीलदार शेराठ के आदेश क्रमांक/
 रामस्व/2024/131 दि: 02.02.2024 से पत्तारी हलका शेराठ से रिपोर्ट
 ली गई। पत्तारी हलका शेराठ की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2024
 द्वारा लिखित में अंकित करवाय की उक्त मामला प्रकरण संख्या
 09/2022 (V.C.M.S Portal) 2022/66 में गाम शेराठ के छसरा संख्या
 704 में अर्बे-कण्डा धुलाई कुँवड़ी सूचना मौका निरीक्षण में पत्तारी
 हलका ने सर्वांग की छिपी प्रकार का अर्बे-कुँवड़ी संचालित नहीं
 हो रही थी तथा मौके पर कण्डा धुलाई रूखथर (निर्माण) कार्य
 कुछ भी नहीं था।

मामला में तहसीलदार शेराठ ने पत्तारी रिपोर्ट की सुद्धि की गई
 राज परीकार एवं भूमि धारिता की सहस सुनी गई।

पञ्जाब के राजस्व रेकॉर्ड का अगले 30 दिना गमा।

प्रस्तुत प्रकरण राजस्व का इत डारी अधिनियम 1955 की धारा
 177 के तहत चलाया गया है। अतः प्रकरण इसी
 स्तर पर खारिज किया जाता है।

पञ्जाब के लाल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्माण
 से इजलास सुनाया गया।

9.2.2024
 उप-सचिव
 धुलाई

TDR